<u>न्यायालय- सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), लखीमपुर-खीरी।</u>

<u>वाद संख्या- **2833/2020**</u>

बबली बनाम सोनू कश्यप आदि।

<u>20-09-2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विगत कई तिथियों से उभयपक्ष उपस्थित नही आ रहा है। आज भी बार-बार पुकार कराये जाने पर न तो कोई उपस्थित आया और न ही हाजिरी-माफी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है उभयपक्ष को वाद में कोई रूचि शेष नही रह गयी है। मामले को लम्बित रखने का कोई तर्क संगत आधार प्रतीत नही होता है।

अतः उभयपक्ष की अनुपस्थित में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उभयपक्ष की अनुपस्थित में वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(आकांक्षा जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)
लखीमपुर-खीरी।

दिनांक- **20-09-2022**